बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना–14.

फोन नं0– 0612–2223727
फैक्स नं0–0612–2224529

राष्ट्रीय / स्पर्द्धा / ई0 निविदा (एस0 बी0 डी0)

ई0–निविदा सूचना संख्या – 25/SBD/2020-21

1	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
2	निविदा आमंत्रित करने की तिथि	:	दिनांक– **05.–02–.2021**
3	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक– **08–03–.2021 से 16–03–.2021 को 17:00 बजे** अपराह्न तक।
4	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक– **08–03–.2021 से** दिनांक – **20–03–.2021 को 17:00 बजे** तक।
5	(क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक– **24–03–.2021 को 16:00 बजे।**
	(ख) वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
	(ग) परिमाण–विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	:	**कंडिका– 42 के अनुसार**
6	प्री बीड मिटिंग की तिथि,समय एवं स्थान	:	दिनांक– **12–03–.2021 को 15:00 बजे।** मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
7	निविदा पत्र बिक्री का स्थान	:	www.eproc.bihar.gov.in पर ।
8	निविदा की वैद्यता अवधि	:	120 दिन।
9	**कार्य का विवरण :–**	:	

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य0 अभि0, बि0पु0भ0नि0नि0, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू0 में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रू0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	किशनगंज जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	324.73	649500	10000	17700	12 माह
2.	जमुई जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	324.73	649460	10000	17700	12 माह
3.	मुंगेर जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	324.73	649460	10000	17700	12 माह
4.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	324.73	649460	10000	17700	12 माह
5.	कैमूर जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्र0 कैम्प डेहरी ऑनसोन	324.73	649460	10000	17700	12 माह
6.	जहानाबाद जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	324.73	649460	10000	17700	12 माह
7.	अररिया जिलान्तर्गत जिला अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	324.73	649460	10000	17700	12 माह
8.	मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशनगंज अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	223.15	446300	10000	5900	9 माह

कृ0पृ0उ0....2/

9.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमंखी अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	223.15	446300	10000	5900	9 माह
10.	बेगुसराय जिलान्तर्गत बलिया अनुमण्डलीय अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	223.15	446300	10000	5900	9 माह
11.	बेतिया जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनु0 जनजाति–सह–महिला थाना के आवास एवं बैरक सहित संयुक्त भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	409.26	818600	10000	17700	12 माह
12.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर थाना में 20 सिपाहियों को बैरक (G+1) एवं 04 यू0 एस0 आवास (दो ब्लॉक) का निर्माण, नगर थाना सीतामढ़ी में चहारदिवारी का निर्माण एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कन्हौली थाना में 05 गाड़ियों हेतु गैरेज, आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	455.18	910400	10000	17700	12 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :– सक्षम प्राधिकार

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रो में निबंधित हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन तथा S.B.D. में निहित प्रावधान के तहत कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का **शपथ–पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।

13. वैसे संवेदक जो किसी भी विभाग में निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) हैं या काली सूची में अंकित हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तद्नुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी।

15. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई–निविदा संबंधित जानकारी, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, रोड नं0–25, श्री कृष्णानगर, पटना–01 के दुरभाष संख्या –0612 2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।

16. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेवसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।

17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

18. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर हीं जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र बेवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0....3/

19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में **अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना** के पदनाम से पटना में भुगतेय होना चाहिए।

21. अग्रधन के रूप में छः/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/बैंक ड्राफ्ट / किसान विकास पत्र /(तीन वर्षीय) डाकघर सावधि जमा/ अनुसूचित बैंक का फिक्सड डिपोजिट प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय बैंक का बैंक गारंटी, जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा अथवा बैंक गारंटी जो बीड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत कराया जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा ग्रुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय।

22. सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। S.B.D. के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जाएगा।

23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।

24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगी। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।

25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।

26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।

27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 3 वर्ष का होगा।

28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्वि (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।

29. निविदाकर्त्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।

31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगें। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।

32. S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप सभी कागजातों के अलावा पहला (i) G.S.T निबंधन प्रमाण–पत्र, (ii) पैन कार्ड, (iii) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (कम्पनी एक्त के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग–अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) अपलोड करना अनिवार्य है तथा (iv) परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।

क्र0पृ0उ0....4/

33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगें एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलीभाँति अवगत हो लेंगें, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगें किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहूँच पथ, स्थल पर

पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/ क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।

34. निविदाकार द्वारा विगत पाँच वर्षों का Tax Audit report आयकर विभाग के Site से Watermark के साथ Download किया हुआ मूल रूप में ही **PDF** फार्मेट में अपलोड करना है यह डिजिटली साइंड होता है इसलिए फिर से प्रीन्ट, साइंन, स्कैन कर के ई टेन्डरिंग साईट पर अपलोड करने की आवश्यक्ता नहीं है।

1 जुलाई 2019 के बाद चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित सभी ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में UDIN नं० होना अनिवार्य है।

35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रो में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।

36. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं० 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।

a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।

38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी ।

39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।

40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, अंचल कार्यालय पटना या मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।

41. एस०बी०डी० के विहित प्रपत्र के अनुरूप **शपथ पत्र मूल में** समर्पित करना अनिवार्य है।

42.. ई. निविदा से संबंधित कार्यो के परिमाण–विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं **शपथ पत्र मूल रूप में** कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

कृ०पृ०उ०....5/

ज्ञापांक– एच0क्यू– 461 पटना, दिनांक– 6/2/21

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 461 पटना, दिनांक– 6/2/21

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल– पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक– एच0क्यू– 461 पटना, दिनांक– 6/2/21

प्रतिलिपि– मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल– 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल– मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण–1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक–एच0क्यू– 461 पटना, दिनांक– 6/2/21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/जमुई/मुंगेर/पूर्णियाँ/कैमूर/जहानाबाद/अररिया/मधेपुरा/बेगुसराय/बेतिया एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

29/01/021 29/01/21